

प्रपत्र- 2.6

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत दूणी-सुकुण्डा मोटर मार्ग का विस्तार शोभाकुण्ड तक 8.00 किमी० मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

**लैन्ड शेड्यूल
(आरक्षित वनभूमि)**

जिला	वन प्रभाग का नाम	वन राजि का नाम	वन ब्लॉक का नाम	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल (है०)
बागेश्वर	बागेश्वर	कंपकोट देवली	देवली रुझ 5 जेखंड 15	1400	7.37	0.980 हे०

ह०/- 
सहायक अभियन्ता
नि० ख० लो० नि० वि०, कपकोट
बागेश्वर

प्रयोक्ता एजेन्सी



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट

ह०/- 
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर
प्रभागीय वनाधिकारी

नोट:- यह सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करायी जानी है।

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर


प्रभागीय वनाधिकारी
कपकोट वन क्षेत्र
बागेश्वर वन प्रभाग
(उत्तराखण्ड)

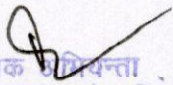
प्रपत्र— 2.6

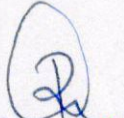
परियोजना का नाम:— जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत दूणी-सुकुण्डा मोटर मार्ग का विस्तार शोभाकुण्ड तक 8.00 किमी० मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

लैन्ड शेड्यूल

सिविल एवं सोयम, वन पंचायत एवं नाभूमि का लैन्ड शेड्यूल के लिये (राजस्व विभाग/जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र)

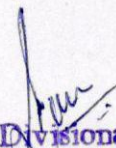
जिला	तहसील का नाम	ब्लाक	खसरा सं०	कुल रकबा है०	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (है०)
बागेश्वर	कपकोट	कपकोट	41	3.360 7.466 है०	4800	7.4	3.360 है०

ह०/- 
जिलाधिकारी
कपकोट
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट

ह०/- 
जिलाधिकारी
बागेश्वर
20/6/17


राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र: KPT


तहसीलदार
तहसील कपकोट


Sub Divisional Magistrate
Karkote (Bageshwar)

नोट:— उक्त सूचना राजस्व विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करायी जानी है, जिसे प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है। प्रत्येक श्रेणी की भूमि का अलग-अलग प्रपत्र भरा जाना है।

खसरा ग्राम-वीथीपन्याती
परवनीक्षेत्र-कपकोटतहसील-कपकोट

खसरा संख्या	कुल रकवा (है.)	खा० सं०	खातेदार का नाम	मध्य रकवा (है.)
1664	0.036	29	ब० का० का०	0.020
1655	0.250	"	(राज्य सरकार)	0.150
1441	0.250	"	च (3) ड	0.100
1442	0.250	"		0.020
1474	0.210	"	" " "	0.010
1475	0.049	"		0.040
2286	0.039	"		0.020
2294	0.068	"		0.050
2293	0.125	"		0.100
2166	0.048	"		0.030
2363	0.030	"		0.060
2385	0.121	"		0.080
2386	0.024	"		0.010
2598	0.030	"		0.020
2588	0.023	"		0.010
2734	0.151	"		0.080
2792	0.189	"		0.070
2793	0.194	"		0.060
2777	0.235	"	" " "	0.060
योग		19		0.050

1.010 है

खसरा ग्राम-कपकोट परवनीक्षेत्र कपकोट

खसरा संख्या	कुल रकवा (है.)	खा० सं०	खातेदार का नाम	मध्य रकवा
9598	0.065	127	ब० का० का० का०	0.023
9625	0.066	127	(राज्य सरकार) खेती	0.008
9520	0.016	127	खेती (4)	0.012
योग	2.469 है	03		0.250

कुल योग

1.260 है

(Signature)

खसवा ग्राम-बीथीपन्नाती
परवारी क्षेत्र- कपकोट तह्द० कपकोट

खसवा मसूदा	कुल रकवा (है.)	खा. सं.	खातदार का नाम	मध्य रकवा (है.)
1665	0.250	28	जंगल (राज्य सरकार)	0.160 है०
1666	0.250	"	ज्येष्ठी र(३)ख	0.140
1667	0.250	"		0.140
1410	0.661	"		0.120
1340	0.460	"		0.280
1335	0.250	"		0.160
1334	0.250	"		0.160
1326	0.250	"		0.160
1323	0.375	"		0.200
1318	0.379	"		0.100
1317	0.250	"		0.095
2700	0.176	"		0.080
2701	0.190	"		0.040
2702	0.223	"		0.020
2735	0.250	"		0.010
2307	0.068	"		0.015
2314	0.158	"		0.080
2343	0.083	"		0.040
2313	0.188	"		0.100

साम 4.997

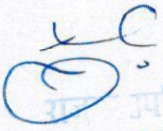
2.100 है०

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत दूणी-सुकुण्डा मोटर मार्ग का विस्तार शोभाकुण्ड तक 8.00 किमी० मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

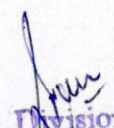
सिविल सोयम भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत दूणी-सुकुण्डा मोटर मार्ग का विस्तार शोभाकुण्ड तक 8.00 किमी० मोटर मार्ग का नव निर्माण के स्थल निरीक्षण कर पाया गया कि प्रस्तावित संरेखण पर वृक्ष खड़े मौजूद हैं जिनकी गणना प्रस्ताव विभाग एवं राजस्व विभाग के संयुक्त निरीक्षण निरीक्षण के समय की जा चुकी है। अतः शा०सं० 866/x-3/2011/8(21)/2010 दिनांक 28.09.2011 तथा 883/x-3/2011/8(21)/2010 दिनांक 04.01.2011 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार उपरोक्त सिविल/वन पंचायती भूमि राजस्व अभिलेखों श्रेणी ८(3) ड व 10(4) में दर्ज कागजात है। एवं वनभूमि में वृक्ष खड़े होने एवं वृक्षों का स्वरूप वन होने के कारण इस प्रस्तावित सिविल भूमि का भूमि हस्तान्तरण नियमानुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत आवश्यक है।

अतः याचक विभाग प्रस्तावित सिविल सोयम भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव वन अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु तैयार किया जा रहा है।


राज्य उपनिरीक्षक
क्षेत्र: कपकोट


तहसील कपकोट


Sub Divisional Magistrate
Kapkote (Bageshwar)


जिलाधिकारी
बागेश्वर